Rs.5 भारत INDIA FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES | COURT FEE Rs.10 INDIA भारत TEN RUPEES

122

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015-~~की~~ अपील निग. /3865-II-15

1. किशोरीलाल गुप्ता पुत्र राधाचरण गुप्ता
2. काशीप्रसाद पुत्र बाबूलाल ब्राहम्ण

निवासीगण ग्राम–लखनगुवा,

तहसील–बिजावर जिला–छतरपुर म.प्र.

विरूद्व

1. मध्यप्रदेश शासन
2. जानकी कुमारी पत्नी स्व.चतुरपाल सिंह

निवासी–रामबाग पन्ना

तहसील व जिला–पन्ना म.प्र.

श्री एस. के. गुप्ता अभि. द्वारा आज दि 28-11-2015 को प्रस्तुत

बन्दोबस्त आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1010/74–75 सीलिंग सहपठित प्रकरण क्रमांक 1/सी–85/86 में पारित आदेश दिनांक 16–09–2015 के विरूद्व अपील अंतर्गत धारा–41 म.प्र. कृषि खातो की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960.

माननीय न्यायालय,

अपीलार्थीगण निम्नलिखित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करते है–

<u>संक्षिप्त तथ्यः–</u>

1. यह कि, इस प्रकरण में ग्राम लखनगुवा तहसील बिजावर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 128 एवं 206 का विवाद है यह भूमि अपीलार्थीगण ने प्रतिअपीलार्थी–2 से दिनांक 05–12–1972 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की थी एवं क्रय करने के दिनांक से निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा है.

2. यह कि, प्रतिअपीलार्थी–2 धारक के विरूद्व मध्यप्रदेश कृषि खातो की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत अपर बन्दोबस्त आयुक्त न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 1010/74–75/अ–90/बी–3 पंजीबद्व किया गया था जिसमें धारक की 163.57 एकड भूमि अतिशेष घोषित की गयी थी.

3. यह कि, अंतिम आदेश पारित होने एवं आदेश के पालन में उपरोक्त अधिनियम की धारा–11 (6) के अंतर्गत अंतिम प्रकाशन होने के पूर्व धारक ने आवेदन दिया कि ग्राम लखनगुवा की भूमि सर्वे क्रमांक 128 एवं 206 क्षेत्रफल 10.82 एकड का अपीलार्थीगण को विक्रय कर दिया था अतः उक्त भूमि अतिशेष घोषित न की जायें.

4. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारक के आवेदन को अस्वीकार किये जाने पर धारक ने राजस्व मण्डल के समक्ष अपील क्रमांक 43–5/1980 प्रस्तुत की प्रतिअपीलार्थी–2 धारक की उक्त अपील दिनांक 26–06–1980 को स्वीकार की गयी तथा राजस्व मण्डल ने

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3865–दो/15 जिला–छतरपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-1-17	अपीलार्थीगण की ओर अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेयी उपस्थित । 2/ न्यायालय बन्दोबस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1010/1974–75/अ–90–बी–3 एवं संबंधित प्रकरण 1/सी/85–86 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2015 के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने म0प्र0 कृषि खातों की अधिकतम जोत सीमा अधिनियम 1960 की धारा–41 के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की है। 3/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिअपीलार्थी क्र0 2 जानकी कुमारी पत्नी स्व0 चतुरपाल सिंह, धारक के विरूद्ध म0प्र0 कृषि खातो की अधिकतम जोत सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें सक्षम अधिकारी, अपर बन्दोबस्त आयुक्त ने दिनांक 24.01.1980 को अंतिम आदेश पारित करते हुये धारक की 163.57 एकड़ भूमि अंतिम रूप से अतिशेष घोषित की एवं अपने आदेश में धारक को सूचित किया गया कि अतिशेष घोषित किये जाने वाली भूमि की सूची धारक प्रस्तुत करें। धारक ने अपनी इच्छा दर्शाते हुये अतिशेष घोषित किये जाने हेतु सूची प्रस्तुत की । सूची के अनुसार अंतिम विवरण में संशोधन करने के बाद सक्षम अधिकारी ने दिनांक 01.05.1980 को संशोधित अंतिम विवरण जारी किया ।	

4/ धारक ने सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम लखनगुंवा की भूमि सर्वे क्रमांक 128 व 206 जिनका क्षेत्रफल पटवारी द्वारा दिये गये प्रपत्र में 19.82 एकड़ दर्शाया गया था, में से 10.82 एकड़ भूमि काशीप्रसाद को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दी गई थी। उक्त भूमि विक्रय के कारण भारग्रस्त है जिसे वह अपने खाते में रखना चाहती है। अतः प्रार्थना की गई कि ग्राम लखनगुंवा की भूमि सर्वे क्रमांक 128, 206 के स्थान पर ग्राम मण्ई की भूमि सर्वे क्रमांक 23/2 रकबा 8.82 एकड़ और सर्वे क्रमांक 25/2 की 2 एकड़ भूमि इस प्रकार कुल 10.82 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की जायें।

5/ अपर बन्दोबस्त आयुक्त ने धारक की उक्त प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया इस कारण धारक ने अपर बन्दोबस्त आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष अपील क्रमांक 43–पांच/1980 प्रस्तुत की। राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 26.06.1980 द्वारा उक्त अपील स्वीकार की तथा सक्षम प्राधिकारी के आदेश में परिवर्तन करते हुये आदेशित किया कि धारक की इच्छा अनुसार भूमि अतिशेष घोषित कर प्रकाशन किया जाये। राजस्व मण्डल के उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया एवं पूर्व में प्रकाशित अंतिम विवरण के अनुसार ग्राम लखनगुंवा की भूमि का आधिपत्य लेने के लिये प्रक्रिया प्रारंभ होने पर क्रेतागण ने राजस्व मण्डल ,ारा अपील प्रकरण क्रमांक 43–पांच/1980 में पारित आदेश दिनांक 26.06.1980 में दिये गये निर्देशों का उल्लेख करते हुये बन्दोबस्त आयुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया कि राजस्व मण्डल के आदेश का पालन करते हुये उनकी भूमि के स्थान पर धारक की इच्छा अनुसार ग्राम मडई की भूमि

वेष्टित की जाकर उनकी भूमि मुक्त की जाये। बन्दोबस्त आयुक्त ने उक्त प्रार्थना को विवादित आदेश दिनांक 16.09.2015 द्वारा अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में धारक की अतिशेष समस्त भूमि, 163.37 एकड़ में से केवल अपीलार्थीगण को विक्रय की गई। ग्राम लखनगुंवा की 10.82 एकड़ का विवाद है। अतिशेष घोषित की गई अन्य भूमि का इस अपील में कोई विवाद नहीं है।

6/ अपीलार्थीगण के अभिभाषक श्री पाजपेयी ने अपील मेमों के समर्थन में अपने तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा कि बन्दोबस्त आयुक्त ने उनकी न्यायोचित प्रार्थना को अस्वीकार करने में गलती की है। उनका आदेश राजस्व मण्डल द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 43–पांच/1980 में पारित आदेश दिनांक 26.06.1980 में दिये गये निर्देशों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7/ अपीलार्थी के अभिभाषक ने बन्दोबस्त आयुक्त के विवादित आदेश दिनांक 16.09.2015 में लिये गये आधारों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षि करते हुये कहा की ग्राम लखनगुंवा की भूमि सर्वे क्रमांक 128 व 206 का कुल रकबा 10.82 था, जिसे प्रपत्रों में गलती से 19.82 एकड़ होना प्रतिवेदित किया गया था। अपीलार्थीगण द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर जब तहसीलदार बिजावर से जानकारी मंगाई गई, तब तहसीलदार ने प्रतिवेदन दिया कि भूमि सर्वे क्रमांक 128 व 206 का रकबा 10.82 एकड़ है, 19.82 एकड़ नहीं है।, जिसमें से 9 एकड़ भूमि को सक्षम अधिकारी के आदेश के पालन में अतिशेष होना मानकर कब्जा लिया गया है। बन्दोबस्त आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा है कि धारक को यह मालूम था कि सर्वे

क्रमांक 128 एवं 206 का रकबा 10.82 एकड़ था। अतः उसने इन नम्बरों में से 9 एकड़ भूमि छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। इस प्रकार धारक ने तथ्यों को छिपाकर इस न्यायालय एवं राजस्व मण्डल को गलत जानकारी दी है। अतः उन्होंने प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है। अभिभाषक का तर्क है जब सर्वे क्रमांक 128 व 206 का रकबा 19.82 एकड़ ना होते हुये उसे 19.82 एकड़ माना गया तब धारक ने 9 एकड़ भूमि शासन को देने की इच्छा व्यक्त करने में कोई त्रुटि नहीं की थी। जब 9 एकड़ अधिक भूमि कम करके ही अंतिम आदेश पारित होना चाहिये था । आगे उनका तर्क है कि जब राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 26.06.1980 में सक्षम अधिकारी को अत्यन्त स्पष्ट निर्देश दे दिये थे कि सर्वे क्रमांक 128 व 206 के स्थान पर ग्राम मडई की भूमि अतिशेष घोषित की जायें तब सक्षम अधिकारी के ऊपर राजस्व मण्डल का आदेश बंधनकारी था, इसलिये भी बन्दोबस्त आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलार्थीगण की प्रार्थना न्यायोचित होने से तथा राजस्व मण्डल के पूर्व के आदेश के अनुसार होने से यह अपील स्वीकार की जाये।

8/ प्रतिअपीलार्थी–2 धारक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं शासन की ओर से उपस्थित पैनल अभिभाषक श्री अनिल श्रीवास्तव ने बन्दोबस्त आयुक्त के आदेश का समर्थन करते हुये कहा कि धारक ने सही जानकारी नहीं दी थी, इस कारण बन्दोबस्त आयुक्त ने अपीलार्थी का आवेदन निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है। इसलिये अपील अस्वीकार की जाये।

9/ मैंने प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिभाषकगणों के तर्कों पर मनन करने के पश्चात पाया की इस प्रकरण में केवल एक प्रश्न विचारणीय है कि क्या बन्दोबस्त आयुक्त ने अपीलार्थीगण के आवेदन को निरस्त करने में कोई अभिलेखीय अथवा वैधानिक त्रुटि की है। अपीलार्थीगण का स्पष्ट तर्क है कि धारक ने उन्हें ग्राम–लखनगुंवा की भूमि सर्वे क्रमांक 128 व 206 विक्रय की थी। धारक ने विक्रय की गई भूमि को अपने पास रखने एवं शासन में अतिशेष भूमि के रूप में वैष्टित न किये जाने की प्रार्थना की थी। अपर बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा धारक की प्रार्थना अस्वीकार किये जाने पर धारक ने राजस्व मण्डल के समक्ष अपील क्रमांक 43–पांच/1980 प्रस्तुत की, जिसे राजस्व मण्डल ने तत्कालीन सदस्य श्री जी.एन.बूच ने अपने आदेश दिनांक 26.06.1980 द्वारा स्वीकार करते हुये सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 01.05.1980 में परिवर्तन करते हुये धारक की प्रार्थना को स्वीकार किया था एवं तद्नुसार अतिशेष घोषित की जाने वाली भूमि का विवरण प्रकाशित किये जाने के निर्देश दिये थे। मेरे मत में भूमि सर्वे क्रमांक 128 व 206 को धारक के पास रखने तथा शासन में वैष्टित न किये जाने का विवाद राजस्व मण्डल के उक्त आदेश से अंतिम हो चुका है एवं उसका पालन किया जाना चाहिये। अपीलार्थीगण ने यही प्रार्थना की थी।

10/ बन्दोबस्त आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि भूमि सर्वे क्रमांक 128 व 206 का रकबा 10.82 ही था, जो धारक को मालूम था एवं धारक ने यह तथ्य छिपाया है। उनका यह आधार भी उचित नहीं कहा जा सकता । सर्वे क्रमांक 128 व 206 का क्षेत्रफल 19.82 एकड़ होने का आधार वे प्रपत्र है, जिन्हें राजस्व कर्मचारियों ने प्रेषित

किया था। जब उक्त भूखण्डों का क्षेत्रफल 19.82 था ही नहीं तथा प्रपत्रों के आधार पर ऐसा माना गया था, तब धारक के पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था कि वह उस 9 एकड़ के अधिक क्षेत्रफल को जो था ही नहीं, शासन को वैष्टित करने के लिये सहमत हो जाये। इस प्रकार जो विवाद उत्पन्न हुआ है, उसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थीगण ने 10.82 एकड़ भूमि धारक से क्रय की थी। धारक ने उसे अपने पास रखने की इच्छा व्यक्त की थी, जो राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 26.06.1980 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। इसलिये अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि शासन में वैष्टित होना नहीं मानी जा सकती। दर्शित परिस्थितयां में यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

11/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है । बन्दोबस्त आयुक्त के विवादित आदेश दिनांक 16.09.2015 का वह अंश जिससे अपीलार्थीगण की भूमि सर्वे क्रमांक 128 एवं 206 प्रभावित होती है, निरस्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त दोनों सर्वे क्रमांकों को अपीलार्थीगण के स्वत्व की भूमि मानी जाकर तदनुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां की जाये। जहां तक धारक की शेष भूमि शासन में वैष्टित होने का प्रश्न है उस पर यह आदेश कोई प्रभाव नहीं रखेगा।

(एम0के0 सिंह)

सदस्य